APP-A
Crim-I

Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	कार्यालय संभागीय आयुक्त	मुकाम	कोटा
श्याम मनोहर पुत्र स्व. श्री गंगाधर शर्मा नि0 देवनारायण मन्दिर के पास शिवपुरा, कोटा		बनाम	सरकार सचिव, नगर विकास न्यास, सीएडी सर्किल कोटा
किस्म मुकदमा	अपील अन्तर्गत धारा 90–ए(12) दी राजस्थान अरबन इम्प्रमेन्ट एक्ट 1955	केस नं0	17 /2019

जिला–कोटा

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.2019	अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री भगवती बल्लभ शर्मा के अपील अन्तर्गत धारा 90–ए(12) दी राजस्थान अरबन इम्प्रमेन्ट एक्ट 1955 मे रेस्पो0 के विरूद्ध पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस एडमिशन अपील अभिभाषक अपीलार्थी सुनी जाकर बहस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रकरण सं0 101/2018 धारा 92 (ए) व 92 (बी) राज0 नगर सुधार अधिनियम 1959 अन्तर्गत दिनांक 11.7.2019 को निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलग्रस्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे राज0 अरबन इम्प्रमेन्ट एक्ट 1955 सपठित धारा 75 एलआरएक्ट मे प्रश्नगत अपील पेश की गई है। विधी अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 92 (ए) व 92 (बी) मे पारित निर्णय के विरूद्ध अपील के श्रृवणाधिकार की शक्तियॉ धारा 92–ए(12) के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश को प्रदत्त होने से प्रश्नगत मूल अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलार्थी को लोटायी जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर मूल अपील नियमानुसार अपीलार्थी को लोटायी जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) संभागीय आयुक्त कोटा	